



24/3/25

पत्रावली पेश हुई। वकील अमरपक्ष उपा।
पत्रावली वाले जवाब प्राप्ति दिनांक
01/04/25 को पेश हो।


24/3/25

01/4/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील अमरपक्ष उपरिपत्र।
प्रकरण में मूलवाद सं० 19/2024 सकारा को वकालत
बनाम शेरव शरीफ व अन्य को खारिज किया
जा चुका है। मूलवाद के खारिज होने से इस
प्राप्ति पर 212 RTA में काल कोई कार्यवाही शेष
नहीं होने से इसे भी इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है। प्रकरण में सल सुभार होकर नबर
से कम होकर बाउ तामील तामील सोखील
दफतर ही।



01/4/25
उपखण्ड अधिकारी

मिर्जावा, जिला सातनाकड़ (रक)

